Neeraj Mandloi
Paper- VI

निबंध

Dated: 30 Nov 2020.

1 A. MSME के समक्ष, चुनौतियाँ : कारण एवं समाधान.

MSME 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम' वर्तमान में भारत के 11% लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसमें से 99.5% उद्यम सूक्ष्म श्रेणी में आते हैं। MSME उद्योगों का लगभग 51% भाग ग्रामीण क्षेत्र में आता है। चूँकि गाँधीजी ने कहा था

"भारत की आत्मा, भारत के गाँवो मे बसती है"

और उस आत्मा को अस्तित्व प्रदान करता MSME क्षेत्र। ~~परन्तु~~ MSME क्षेत्र 'आत्मनिर्भर' भारत का महत्वकांक्षी सपन्न स्वप्न साकार करने की क्षमता रखता है। न जाने कितने उदाहरण हैं कि किसी निचले वर्ग के व्यक्ति ने उद्यम प्रारंभ किया और वह सम्पन्नता की ओर अग्रसर हो गया। ऐसा ही एक उदाहरण है पिपरिया के पास के गाँव का, जहाँ पर रमेश कहार ने 2017 में कपड़े की थैली बनाने का उद्योग प्रारंभ किया। उसके लिये उसे लोन बैंक द्वारा दिया गया, जो कि सरल व सब्सिडी युक्त था। रमेश के पास आज आसपास के क्षेत्र के बड़े

ऑर्डर्स हैं व वह सालाना 70-75 लाख का कारोबार उद्योग के माध्यम से कर पा रहा है, बैंक की किस्त चुकाने के बाद भी उसका मुनाफा काफी अच्छा है। रमेश अपनी कहानी कुछ इस तरह कहता है कि इस उद्योग ने एक गरीब मरणासन्न परिवार में जान फूंक दी। इसे ये क्षमता दी कि वह न केवल स्वयं बल्कि दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सके। वही एक कहानी इसके उलट भी है जहाँ गिरधारी को बैंक से कुछ सहायता नहीं मिली।

समाज के विभिन्न वर्गों तक MSMEs की पहुँच

वर्तमान में देश में MSMEs क्षेत्र के 66% उद्यम समाज के निचले वर्ग से जुड़े लोगों द्वारा संचालित किये जाते हैं। इनमें से 12.5% अनुसूचित जाति, 4.1% अनुसूचित जनजाति और 49.7% अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं।

MSME भारत में आर्थिक असमानता को कम करने में एक असरदार उपाय सिद्ध हो सकता है।

चुनौतियाँ

सामाजिक व भौगोलिक चुनौतियाँ : सभी श्रेणियों के MSMEs के कर्मचारियों में लगभग 80% पुरुष और मात्र 20% महिलाएं हैं। जो महिलाओं की कम भागीदारी को साफ इंगित करता है। महिलाओं की कम भागीदारी कारण पहला तो सामाजिक है जब महिला को काम करने पर ही नहीं दिया जाता है और दूसरा बैंक द्वारा पूँजी मिलने में कठिनाई।

भौगोलिक चुनौतियों को हम इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि भारत का लगभग 50% से अधिक MSME क्षेत्र 7 राज्यों में ही है अर्थात् अन्य राज्यों में इसकी भागीदारी कम है। ये राज्य मुख्यत: वे राज्य हैं जहाँ अन्य उद्योगों व रोजगारों की भी कमी है। मध्यप्रदेश भी इन 7 राज्यों में ना शामिल नहीं है। जो कि समावेशी दृष्टि से विचारणीय है।

आँकड़ों का अभाव : देश में सक्रिय MSMEs सामान्यतः बहुत ही छोटे स्तर पर कार्य करते हैं, जिसके कारण इनमें से अधिकांश का किसी प्रकार का पंजीकरण नहीं किया गया है।

अधिकांश MSMEs, वस्तु और सेवा कर (GST) की पहुँच से बाहर हैं और वे किसी प्रकार का खाता बनाने, कर देने या अन्य नियमों का पालन करने आदि में अधिक सक्रिय नहीं हैं।

इस प्रक्रिया में उनकी कुछ बचत तो होती है परंतु संकट की स्थिति में किसी ठोस आँकड़े के अभाव में ऐसे उद्यमों को सहायता पहुँचा पाना सरकार के लिये भी एक चुनौती बन जाती है। उदाहरण के लिये वर्तमान आर्थिक संकट के बीच कुछ विकसित देशों की सरकारों ने छोटे उद्यमों में मजदूरी सब्सिडी उपलब्ध कराई। यह तभी संभव हो सका जब उद्यमों के विश्वसनीय आँकड़े सरकारों के पास थे।

आर्थिक चुनौतियाँ : MSME क्षेत्र में वित्तपोषण की कमी। वर्ष 2018 में जारी "अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, MSME क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा MSMEs की कुल आवश्यकता का एक-तिहाई (लगभग 11 लाख करोड़ रुपए) से कम ही ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

अर्थात् MSMEs को अधिकांश ऋण अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होता है, यही कारण है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा MSME क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के प्रयासों के परिणाम बहुत ही सीमित हैं।

भुगतान में विलंब होना MSMEs के लिये दूसरी बड़ी चुनौती है। कई बार ऋण बैड लोन में शामिल हो जाते हैं। जिससे बैंक को भी घाटा उठाना पड़ता है।

COVID-19 महामारी के कारण भी MSME क्षेत्र में अभूतपूर्व गिरावट आई है।

चुनौतियों के समाधान :

समावेशी नीति : MSME क्षेत्र में महिलाओं वह अन्य निचले वर्गों को समान रूप से प्रोत्साहन देने के लिये नीति निर्माण किया जासकता है।

राज्यों को विशेष रूप से कम निवेश की ओर ध्यान देकर, राज्य में MSME उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए।

विश्वसनीय आँकड़ों का उपलब्धता : एक प्रबल प्रणाली का विस्तार हो जो MSME से जुड़े उद्यमियों की सुदृढ़ व विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करा सके। जिसमें पंजीयन व जड़ा का होना अनिवार्य किया जाये।

आर्थिक समाधान : प्रत्यक्ष बैंकिंग प्रणाली से जुड़कर
जोड़कर, RBI, MSME क्षेत्र
में तरलता की कमी को दूर
करव सकती है।

ऋण की उपलब्धता : इस विषय में
भारत सरकार को और अधिक
निवेश की आवश्यकता है।
सरकार द्वारा विभिन्न सब्सिडी योजना
व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा
सकते हैं।

वर्तमान में COVID-19 के समय में, सरकार
कर में कटौती, रिफंड प्रक्रिया में तेजी के साथ
विभिन्न योजनाओं जैसे - पीएम किसान, जन-धन
योजना आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में
तरलता और MSME उत्पादों की मांग में
वृद्धि कर MSMEs को सहायता पहुँचा सकती
है।

MSME क्षेत्र भविष्य के भारत को आकार दे सकता है। भारत में रोजगार की कमी को, रोजगार सृजन से ही दूर किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति से विश्व के विशेष समीकरणों के बदलाव आयेंगे। भारत के पास यह एक स्वर्णिम अवसर है जब वह निवेशों को आकर्षित कर सके सकता है। विश्व की आपूर्ति कर सकता है। "वोकल फार लोकल" जैसे जन आंदोलन इस बात के सूचक हैं कि अब भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो चुका है और MSME यह दिशा MSME की ओर ही जाती है। MSME में आज का निवेश, भविष्य के भारत निर्माण करेगा।

2 A.

"सामाजिक सुधारक कबीरदास"

"पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहार।
ताते तो चाकी भली, जो पीस खाए संसार।।"

कबीर दास जी 15 वी शताब्दी के भक्तिकालीन कवि, विचारक व समाज सुधारक थे। उन्होनें उपनी रचनयों के माध्यम से समाज में व्याप्त व्याप्त बुराईयों की बिना किसी डर के आलोचना की। उनकी बोली व्यंग्यात्मक के साथ-साथ गंभीर थी। जो समाज के बुद्धिजीवियों तक सीमित ही नहीं, आम जन के लिये सरल व प्रत्यक्ष थी।

कबीर दर्शन के मुख्य तत्व थे: प्रेम, ईश्वर (निराकार), गुरु, भक्ति व आत्मन।

कबीर दास जी सांसारिक जीवन में रहे और संसार को यह बताने की कोशिश की, कि सांसारिक जीवन जीते हुये भी आत्म शांति, व संतुष्टि पाई जा सकती है।

कबीर एक समाज सुधारक:

कबीर दास ने, हर उस कर्त कृत्य, धारणा व रीति की आलोचना की जो समाज में अकारण व्याप्त थी और समाज को खोखला बनाती जा रही थी। कबीर दास जी समाज सुधार बहुआयामी थे। जैसे:

जाति प्रथा का विरोध: कबीर दास जी स्वयं एक जुलाहे थे तथा वे हर व्यक्ति से उतने ही सौहार्द से मिलते जितने की वह किसी विशिष्ट व्यक्ति से।

महिलाओं के प्रति आदर व उत्थान का प्रयास: रूढ़ीवादी विचारों ने यह भ्रांति फैला रखी थी कि नारी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, उसका जन्म पुरुष की सहायता और सेवा के लिए होता है परन्तु कबीर दास जी ने ऐसे तर्क दिये कि महिला पुरुष में मात्र आध्यात्मिक स्तर पर कोई भेद नहीं है।

कुरीतियों का विरोध: कबीर निराकार ब्रह्म में श्रद्धा रखते थे। 15 वी शताब्दी आते-आते धर्मांधों की संख्या यहाँ तक बढ़ गई कि वे पत्थर को मानव से अधिक महत्व देने लगे। धर्म में कुरीतियों का बोलबाला था जैसे बलि प्रथा, अंधविश्वास आदि।
ऐसा नहीं कि कबीर ने किसी एक धर्म पर वार किया, कबीर ने हर धर्म की कुरीतियों का समान रूप से विवरण व विरोध किया।

भक्ति व कर्म योग का प्रचार: कबीर दास जी ने संसार के अस्तित्व को स्वीकारा और कर्म योग को सर्वोपरी माना। ईश्वर की प्राप्ति हेतु ज्ञान व वैराग्य की अपेक्षा भक्ति पर महत्व दिया। जिससे कर्मकांडो आदि जैसे आडम्बर समाप्त हो सकें।

हिन्दु-मुस्लिम एकता: कबीर दास जी ने कभी स्वयं को किसी धर्म से नहीं जोड़ा, वे दोनों धर्मों की बुराईयों का आलोचना करते थे तो दोनों धर्मों की अच्छी चीजों का अनुकरण भी करते थे। यही कारण है कि आज भी हिन्दु और मुस्लिम दोनों कबीर दास जी के आदर्शों को मानते हैं व आदर करते हैं।

साधारण जीवन शैली को महत्व देना: कबीर दास जी दूर दर्शी थे, व वे इस बात को जानते थे कि जैसे-जैसे उपभोगतावाद बढ़ेगा। मनुष्य मनुष्यों में असंतोष भी बढ़ेगा। कबीरदास जी 15वीं शताब्दी में ही हमें मूलमंत्र दे गये।

कबीर दर्शन व कबीर वाणी की प्रसंगिकता समय से बंधी नहीं है। अपितु जितनी वह तब प्रसंगिक थी उससे अधिक आज है। समाज में वही कुरीतियाँ मौजूद हैं जो कल थी बल्कि और भी व्यापक रूप में। भारत एक धर्म निरपेक्ष, भाईचारे वाला देश है, भारत की अखण्डता व एकता कबीर दर्शन में समाहित है।

" माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर,।
कर का मनका डार दे, मन का मनका फेर ।। "

"मीडिया"

मीडिया का जैसे ही नाम आता है मन में एक नकारात्मक छवि उभरती है। मीडिया का काम तो जानकारी फैलाना है फिर भला इस काम में कैसे भी नकारात्मकता आ सकती है। जी हाँ, मीडिया के नाम से नकारात्मकता आती है क्योंकि मीडिया आजकल यह जानकारी विस्तार का माध्यम न हो कर, एक मनोवृत्ति निर्माता बन गया है। बिना किसी प्रमाण के न्यूज चैनलस् पर निर्णय लिये जाते हैं और उसे देखकर या सुनकर आम जनता अपनी राय बनाती है। असल में जनता राय नहीं बनाती, उसपर राय थोप दी जाती है। हालाकि न सारे मीडिया माध्यम ऐसा या कहें कि सिर्फ ये ऐसा नहीं करते, जानकारियों का माध्यम आज भी मीडिया ही है चाहे वो सोशल मीडिया हो या अखबार।

मीडिया के कार्य : मीडिया लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहलाती है। अर्थात् कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधानपालिका के कार्यों पर नजर रखना व जनता तक विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को पहुँचाना व जनता से उनकी राय प्रतिनिधियों तक पहुँचाना।

मीडिया के प्रकार : वर्तमान में हम जानकारी की दुनिया में रह रहे हैं। जहाँ ज्यादातर जानकारी "सिंगल क्लिक" दूर है। मीडिया के प्रकार जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आदि।

मीडिया की भूमिका : मीडिया की भूमिका समाज में व्याप्त व्याप्त कुरीतियों व निचले तबकों की पर अत्याचार को उजागर करने में हो सकती है।

सरकारी योजनाओं को लक्षार्थी तक पहुँचाने में, योजनाओं का सही क्रियान्वन न होने पर सूचना अधिकारों तक पहुँचाने में। गरीब, सामाजित, निचले वर्ग की आवाज बनने में। लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने में आदि।

मीडिया की आलोचना: वर्तमान में मीडिया जानकारी से ज्यादा "प्रपोगेंडा" फैला रही है। हम आये दिन देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर से न्यूज निकली और मॉब लिंचिंग जैसी घटना घट गयी।

मीडिया ट्रायल जैसे अनैतिक कार्य करने से भी मीडिया नहीं कतराती। "टी आर पी" को बढ़ाने के लिये बिना पुष्टि न्यूज प्रकाशित कर दी जाती है।

मीडिया में नैतिकता की आवश्यकता : मीडिया जानकारी का घर-घर माध्यम है। मीडिया में नैतिकता वर्तमान में अत्यधिक आवश्यक है। देश में शांति व न्याय की स्थापना में मीडिया में नैतिकता की अहम भूमिका हो सकती है।

उपसंहार : मीडिया के क्षेत्र में अन्य सत्यनिष्ठ कर्मचारी भी कार्य कर रहे हैं। जरूरत है तो एक निश्चित पैमाना तय करने की, इसमें मीडिया जानकारी को फैलाये जो कि पुष्टि पुख्ता हो प्रमाणित हो। इससे मीडिया की भी छवि दुरुस्त होगी व प्रमाणिकता बढ़ेगी। लोकतंत्र के चारों स्तंभ का सुदृढ़ होना आवश्यक है।